उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
कारपोरेट लेखा इकाई
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
9वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।
CIN : U40101UP1980SGC005065

UPRVUNL

UP Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
Corporate Account Unit
(A UP Government Undertaking)
9[TH] Floor, Shakti Bhawan Ext.,
14-Ashok Marg,
Lucknow.
CIN : U40101UP1980SGC005065

पत्रांक : 210 / उ0नि0लि0 / मु0म0प्र0 (वित्त)

दिनांक 26 जुलाई, 2016

उप महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा) / उप मुख्य लेखाधिकारी /
वरिष्ठ लेखाधिकारी,
तापीय विद्युत परियोजना,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज / पनकी,
सोनभद्र / सोनभद्र / झाँसी / कासिमपुर (अलीगढ़) / कानपुर।

No. 55 .../20.16
Date 12-8-16

विषय :– सेवायोजित परिवारिक पेंशन भोगियों को मंहगाई राहत।

शासनादेश संख्या –07 / 2016–सा–3–180 / 180 / दस–2016–308(06) / 2000 दिनांक 17.03.2016 द्वारा सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों की पारिवारिक पेंशन की राशि पर महंगाई राहत भुगतान करने के आदेश दिये गये है।

अतः उपरोक्त आदेश के बिन्दु संख्या 6 पर वर्णित प्रक्रिया को अपनाते हुऐ सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरो को पारिवारिक पेंशन की राशि पर मंहगाई राहत का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया इस कार्य को उच्च प्राथमिकता पर सम्पन्न करायें।

संलग्नक : शासनादेश की प्रति

26/7/16
(एम0सी0 पाल)
महाप्रबन्धक(लेखा)

संख्या-7/ 2016-सा-3-180/ दस-2016-308(06)/ 2000

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक : 17 मार्च, 2016

विषयः- सेवायोजित पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई राहत।

महोदय,

शासनादेश संख्या-सा-3-628/ दस-935/ 78, दिनॉक 16-04-1981 के प्रसारित होने से पूर्व राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनरों, जो किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के किसी विभाग/ कार्यालय में अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक कंपनी/ निगम/ उपक्रम या स्वायत्तशासी प्रतिष्ठान या स्थानीय निकाय या राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्त हों, को पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत की देयता के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं था। उक्त शासनादेश दिनॉक 16-04-1981 द्वारा यह आदेश दिये गये कि राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो ऊपर वर्णित कार्यालयों में सेवायोजित हैं, की पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत अनुमन्य न होगी।

2- इस प्रकार राज्य सरकार के वर्तमान आदेशों के अधीन ऐसे पारिवारिक पेंशनरों, जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा में अथवा उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवायोजित हैं, को उनकी पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत अनुमन्य नहीं है।

3- भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशनर तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश संख्या-45/ 73/ 97-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी), दिनॉक 02-07-1999 के अनुसार केन्द्र सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो सेवायोजित हैं, को उनकी पारिवारिक पेंशन पर भी महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

--2/ -

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- शासन को निरन्तर इस प्रकार के प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहें है कि राज्य सरकार के अधीन सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों की वेतन पर महँगाई भत्ते के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत का भी भुगतान अनुमन्य किया जाये।

5- प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या-सा-3-628/ दस/ 935/ 78, दिनॉक 16-04-1981 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / सहकारी संस्थाओं आदि में सेवायोजित हैं तथा इस कारण उनकी पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है, को तात्कालिक प्रभाव से वेतन पर महँगाई भत्ते के भुगतान के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत का भी भुगतान अनुमन्य होगा किन्तु इसके अधीन किसी प्रकार के एरियर का भुगतान देय नहीं होगा।

6- इस शासनादेश के क्रम में, सेवायोजित पारिवारिक पेंशनर द्वारा पारिवारिक पेंशन पर राहत का भुगतान प्रारंभ किये जाने हेतु अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कोषागार को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त आवेदन के आधार पर कोषागार द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से पारिवारिक पेंशन पर प्रचलित दर से महँगाई राहत का भुगतान प्रारंभ किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

<u>संख्या- 7/ 2016-सा-3-180(1)/ दस-2016-308(06)/ 2000, तददिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2)- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3)- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4)- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5)- अपर/ संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
(6)- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।